

मध्य प्रदेश शासन
पर्यटन विभाग,
मंत्रालय
वल्लभ भवन भोपाल

क्रमांक 591 /2736541/2025/तैंतीस

भोपाल, दिनांक 09/04/2025

प्रति

प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड
भोपाल।

विषय- मध्यप्रदेश पर्यटन नीति 2025 की कंडिका 5 के अंतर्गत परियोजनाओं के विभागीय भूमियों पर स्थापना हेतु निर्धारित समय सीमा संबंधी निर्देश।

--००--

उपरोक्त विषय में विभाग द्वारा पर्यटन नीति 2025 जारी की गई है। उक्त पर्यटन नीति 2025 की कंडिका 5 में वर्णित पर्यटन परियोजनाओं की पर्यटन विभाग द्वारा आवंटित भूमियों पर स्थापना हेतु निम्नानुसार समयावधि निर्धारित की जाती है :-

क्र.	पर्यटन परियोजना का नाम	परियोजना स्थापना हेतु नियम समयावधि (वर्ष में)
1	होटल (स्टेण्डर्ड श्रेणी)	2
2	होटल (स्टार/डीलक्स श्रेणी)	3.5
3	हेल्थ फार्मस/ रिसोर्ट/ हेल्थ एंड वेलनेस रिसोर्ट्स	4
4	कैम्पिंग साईट एवं स्थायी टेंटिंग इकाईयां	1.5
5	मोटल एवं वे-साइट एमेनिटीज	1.5
6	हेरिटेज होटल	5
7	कन्वेंशन सेंटर (MICE)	4
8	म्यूजियम/एक्वेरियम/थीम पार्कस	2
9	गोल्फ कोर्स	4
10	रोप वे (Ropeway)	4
11	वाटर पार्क और वाटर स्पोर्ट्स	3
12	एम्पूजमेंट पार्क	3
13	एडवेंचर पार्क	3
14	साउण्ड एंड लाईट शो/लेजर शो	2
15	फिल्म स्टूडियो एवं फिल्म निर्माण हेतु अधोसंरचना निर्माण एवं उपकरणों की स्थापना	3
16	मिनी रिसोर्ट / वाइल्डलाइफ रिसोर्ट	3

म.प्र. टूरिज्म बोर्ड (नि.प्र.)

L-2025-P-176

म.प्र. टूरिज्म बोर्ड, भोपाल
आवक क्रमांक 115-1103
दिनांक 11-4-2025

निरन्तर

22 / 4

444 22/4/25

क्र.	पर्यटन परियोजना का नाम	परियोजना स्थापना हेतु नियम समयावधि (वर्ष में)
17	कन्वेंशन सेंटर सह होटल	5
18	एयरो स्पोर्ट्स एवं एयरो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर / अकादमी	5
19	सी प्लेन / एमफिबियन पर्यटक वाहन	3
20	कूज टूरिज्म / हाउस बोट	3
21	बृहद/ मेगा / अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट (चरणवार निवेश हेतु, प्रथम चरण हेतु 2 वर्ष, द्वितीय चरण हेतु 3 वर्ष, अंतिम चरण हेतु अधिकतम 5 वर्ष)	5

पर्यटन विभाग द्वारा आवंटित भूमि की लीज डीड की कंडिका क्रमांक 7 में उपरोक्तानुसार नियत समय का उल्लेख किया जाये। निवेशक के लिये आवश्यक होगा कि लीज डीड की कंडिका 7 में वर्णित चरणबद्ध कार्य (माइलस्टोन) का निर्धारण नियत समय सीमा के अंदर किया जाये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(जगदीश कुमार गौमे)
उप सचिव,

मध्य प्रदेश शासन, पर्यटन विभाग
भोपाल, दिनांक /04/2025

पृ. क्रमांक /2736541/2025/तैंतीस
प्रतिलिपि:

- 1/ समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल
- 2/ सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल
- 3/ समस्त संभागायुक्त
- 4/ समस्त विभागाध्यक्ष
- 5/ आयुक्त, जनसंपर्क की ओर प्रचार-प्रसार हेतु प्रेषित।
- 6/ समस्त कलेक्टर्स।
- 7/ आदेश पुस्तिका।

उप सचिव,
मध्य प्रदेश शासन, पर्यटन विभाग